

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
विशेष कार्याधिकारी,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तर प्रदेश जल निगम,  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 7 फरवरी, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, स्वार जनपद रामपुर की पुनर्गठन पेयजल योजना के कार्यों हेतु तृतीय किश्त की स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (नागर) उओप्रओ जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-183/नागर-2/033-410/16, दिनांक 03.09.2016 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0-5156/नौ-5-2014-183बजट/2014, दिनांक 09.02.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, स्वार जनपद रामपुर की पुनर्गठन पेयजल योजना के कार्यों हेतु निर्धारित लागत रू0 1142.00 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 114.00 लाख एवं शासनादेश सं0-107/2016-189/नौ-5-2016-183बजट/2014, दिनांक 28.04.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 500.00 लाख का व्यय होने के दृष्टिगत रू0 470.00 लाख (रू0 चार करोड़ सत्तर लाख मात्र) की धनराशि की धनराशि संलग्न बीओएमओ प्रपत्र-9 के अनुसार तृतीय किश्त के रूप में शासनादेश सं0-5156/नौ-5-2014-183बजट/2014, दिनांक 09.02.2015 द्वारा निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उओप्रओ जल निगम लखनऊ तथा सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
- (7) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।
- (9) अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि को कार्य योजना के पूर्ण होने, कार्यगुणवत्ता के साथ कराये जाने की पुष्टि करने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अवमुक्त की जायेगी।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्ष "2217-शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्ष "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवेदीय

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-35/2017-292/नौ-5-17-183बजट/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/रामपुर ।
3. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 30प्र० लखनऊ ।
6. मुख्य अभियंता,(मु० क्ष०), 30प्र० जल निगम, मुरादाबाद।
7. अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, स्वार जनपद रामपुर।
8. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो ।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी।

फार्म बी०एम०-९ (भाग-१)  
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन  
अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-३७- नगर विकास विभाग, वित्तीय वर्ष २०१६-१७

(धनराशि हजार ₹० में)

लिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (१५ डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (२-५)
१	२	३	४	५	६
"२२१७- शहरी विकास -०५-अन्य शहरी विकास योजनाये-१९२-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-०४-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-३५-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	९०००००	४७०००	४७०००	४७०००	८५३०००
योग	९०००००	४७०००	४७०००	४७०००	८५३०००
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (१५ डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (९-८)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (८+११)
७	८	९	१०	११	१२
"२२१५-जल पूर्ति तथा सफाई-०१-जलपूर्ति-१०१-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-०६-पेयजल हेतु व्यवस्था-३५-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान "	१०००००	४७०००	४७०००	४७०००	१४७०००
योग	१०००००	४७०००	४७०००	४७०००	१४७०००

स्तम्भ ३ में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

- (१) पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।
- (२) स्तम्भ ८-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ ९-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-  
नागर निकायों के लिये पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
- (३) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- १५० व १५१ में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर०ई०संख्या- ४२०-ई-८-२१८ /दस-२०१७, दिनांक ०६ फरवरी, २०१७

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,  
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी,  
नगर विकास विभाग।

( सुभाष चन्द्र )  
अनु सचिव,  
वित्त विभाग।

संख्या-३५ /२०१७-२९२ (१) /वौ-५-२०१७-१८३ बजट/२०१४ तद्विनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
२. जिलाधिकारी, लखनऊ/रामपुर ।
३. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
४. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
५. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ३०प्र० लखनऊ ।
६. मुख्य अभियंता.(मु० क्ष०), ३०प्र० जल निगम, मुरादाबाद।
७. अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, स्वार जनपद रामपुर।
८. वित्त (ई-८) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-२/नियोजन अनुभाग-३/४
९. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो ।
१०. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल ।

आज्ञा से,  
(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017  
आवंटन दिनांक-07/02/2017

प्रेषण संख्या:- 35  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-35-2017-292-9-5-17-183B-2014  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)  
01 - जलपूर्ति  
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम  
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	47000000 147000000	47000000 147000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	47000000 147000000	47000000 147000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ सत्तर लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ सत्तर लाख

  
(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी